

# FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

..... बनाम .....  
 किस्म मुकदमा ..... नं. .... सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालिका में जारी हुए
03.03.2022	<p>17-1-22</p> <div data-bbox="510 705 981 952" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/सीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3-3-22 को पेश हो।</p> </div> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने न्यायालय के आदेशों व तलबी हेतु वर्ष 2015 से दिये गये 32 अवसरों के बावजूद भी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना आज दिनांक तक भी पेश नहीं किया गया है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत <b>Non Compliance</b> में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <div data-bbox="845 1590 1189 1915" style="text-align: right;"> <p><i>(दिलीप सिंह)</i>              01/03/22              उपखण्ड अधिकारी              श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> </div>	

